श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518 न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर & 452007

Email : lcmpenf@mp.gov.in Website :http:// labour.mponline.gov.in

क्रमांक: 386 /ऑफ ला./नवम/प्रवर्तन/2024/ 27389 - 442 **इंदौर, दिनांक** 23/09/24

प्रति,

(1) समस्त सहायक श्रमायुक्त (म.प्र.)

(2) समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)

विषय:- मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 सहपठित म.प्र. मोटर यातायात श्रमिक नियम, 1963 का सुचारू रूप से परिपालन कराने बाबद्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, **1961** सहपठित म.प्र. मोटर यातायात श्रमिक नियम, **1963** प्रभावशील है । राज्य में उक्त अधिनियम किसी भी संस्थान द्वारा 2 या 2 से अधिक मोटर यातायात श्रमिक नियोजित होने पर प्रभावशील होता है।

प्रदेश में मोटर यातायात परिवहन संस्थानों व उनमे कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुतायात में है तथापि अधिकांश मोटर परिवहन संस्थान पंजीकृत नहीं है। नियमित पाक्षिक समीक्षा के दौरान यह स्थिति समक्ष में आई है कि मैदानी कार्यालयों द्वारा मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, **1961** के अंतर्गत न तो संस्थानों के अधिनियम अनुसार पंजीयन किए जा रहे है एवं न ही उनके नियमित निरीक्षण संपादित किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप मोटर यातायात परिवहन संस्थानों में कार्यरत श्रमिक श्रम कानूनों के तहत् मिलने वाले विभिन्न लाभ जैसे – न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश व अन्य अवकाश, अधिसमय (ओवर टाईम), यूनिफॉर्म एवं चिकित्सा सुविधा आदि से वंचित रह जाते हैं।

अत: निर्देशित किया जाता है कि आगामी 1 माह में मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, **1961** के अंतर्गत प्रवर्तन कार्यवाही करें एवं संबंधित शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निजी निकायों/ संस्थानों के अंतर्गत संचालित मोटर यातायात संस्थान व ट्रांसपोर्ट ओनर्स/ एसोसिएशन आदि से संपर्क कर उन्हें भी अधिनियमांतर्गत पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करें, ताकि पंजीयन एवं नवीनीकरण की संख्या में बढोत्तरी की जा सके एवं उनमें नियोजित मोटर यातायात श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिलाया जा सके।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में तत्काल विधानानुसार कार्यवाही संपादित कर की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन **दिनांक 25/10/2024** तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

23/09/2024

(धनराजू एस.)
श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक: 386 /ऑफ ला./नवम/प्रवर्तन/2024/ 27543-55 इंदौर, दिनांक 23/09/24

प्रतिलिपि :-

(1) अपर सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रभारी , आई.टी. शाखा मुख्यालय, इंदौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/24

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर